छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 450/2006

श्री संतोष कुमार कुंजाम,
शांतिनगर, वार्ड क्रमांक–4,
गली नंबर–1, चिखली स्कूल के पीछे .... अपीलार्थी
राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 30 दिसम्बर 2006)

श्री संतोष कुमार कुंजाम निवासी–राजनांदगांव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 16–5–2006 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आवेदन दिया था कि राज्य सेवा परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का उसे अवलोकन कराया जावे। उसने बतलाया कि उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियों में कई जगह अंको के साथ कांटछांट पाई गई। आवेदक के द्वारा पुनः 3 अप्रेल 2006 को स्केलिंग पद्धति एवं गणना पत्रक की छायाप्रति कुछ विषयों की मांगी। अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.05.2006 के द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक कके द्वारा 1988 अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी 30.06.2006 के पश्चात् उपलब्ध कराई जावेगी। मानव विज्ञान, समाजशास्त्र इतिहास लोकप्रशासन एवं जन्तु विज्ञान विषयों के संबंध में स्केलिंग गणना पत्रक एवं टेबुलेशन की जानकारी साफ्टवेयर से सीधे संबंधित कम्प्यूटर एजेंसी के द्वारा स्केल्ड अंक गणना उपरांत उपलब्ध कराया गया। कार्यालय में स्केलिंग गणना–पत्रक की सीडी/हार्डकापी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उक्त जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलार्थी को दिनांक 1–6–2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उसे पूर्व में उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है। मूल उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन का कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा इन दोनों जवाबों के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(डी)(जे)(आई) के अंतर्गत परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से इसका प्रकटन किया

जाना लोकहित में नहीं है, अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके उत्तरपुस्तिकाओं में कांटछांट की गई है, अतः उसे मूल उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाना आवश्यक है। साथ ही स्केलिंग के अंकों की भी जानकारी उसे दी जाना चाहिए थी। प्रतिअपीलार्थी ने अपने तर्कों में बतलाया कि प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि मूल उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन कराने से परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी तथा मूल्यांकनकर्ता/जांचकर्ता/परीक्षक की पहचान भी हो सकती है, जो कि जनहित में उचित नहीं है। अतः उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(डी)(जे) का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक हित में मूल उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाना उचित नहीं माना। स्केलिंग की जानकारी देने से भी परीक्षा की गोपनीयता भंग हो सकती है।

4/ अपीलार्थी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा–2003 की मुख्य परीक्षा की उसकी उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहा है। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पूर्व में उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति दी गई है। छायाप्रति के अवलोकन से अपीलार्थी को यह संदेह है कि प्राप्तांकों में कांट–छांट की गई है। अतः वह मूल उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहता है। चूँकि पूर्व में अपीलार्थी को उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति दी जा चुकी है। अतः उन्हीं उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन किये जाने से परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता भंग नहीं होती है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन से परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी। जहां तक स्केलिंग, केलक्यूलेशन, टेबूलेशन सीट का संबंध है प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया है कि उक्त जानकारी विभाग में नहीं है। प्रकरण में सुनवाई के समय प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि स्केलिंग के अंकों की जानकारी अपीलार्थी को दी जा सकती है, किन्तु स्केलिंग अंकों की जानकारी संबंधित एजेन्सी के साफ्टवेयर में होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि उक्त जानकारी लोक सेवा आयोग में नहीं रहती। अतः यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये एन्थ्रोपलॉजी, समाजशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, जुलॉजी आदि विषयों की स्केलिंग में प्राप्त अंकों की जानकारी उनको को दी जावे।

5/ उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिये जाते हैं।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त